न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 1232/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हरीसिंह पुत्र भुरसिंह		1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर पाली।
2. पूरणसिंह पुत्र भुरसिंह		2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।
3. भंवरसिंह पुत्र भुरसिंह		3. देवनारायण आवासीय विद्यायल, देवडुंगरी जरिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पाली
4. बाबुसिंह पुत्र भुरसिंह		
5. लादुसिंह पुत्र भुरसिंह		
6. जवानसिंह पुत्र भुरसिंह जातिगण रावत निवासी देवखेड़ा रायरा कलां तह0 सोजत जिला पाली राज0।		

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थितिः—

01. श्री ओ0पी0 राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 15/12/2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण देवखेड़ा रायराकलां तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी रायराखुर्द के स्थाई निवासी है एवं पीढीयो से निवास करते आ रहे है। सरहद मौजा रायराखुर्द के खाता संख्या 779 (पुराना खाता सख्या 727) खसरा नम्बर 650 रकबा 1.9000 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 651/2727 रकबा 0.5300 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.4300 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 780 (पुराना खाता संख्या 729) खसरा नम्बर 651/2795 रकबा 0.4500 हेक्टेयर किस्म बंजड़ प्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं हक हकुक की स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के मार्फत अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से सरहद मौजा रायरा खुर्द के खाता संख्या 805 खसरा नम्बर 651/1 रकबा 4.000 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भुमि का आवंटन देवनारायण आवासीय विद्यालय, देवडूंगरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पाली के नाम एलोट की थी। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भुमि खसरा नम्बर 650, 651/2795, 651/2727 की वर्तमान स्थिति एवं उक्त कृषि भुमि को पुराने खसरे के हिसाब से पुराने नक्शे व नये नक्शे की ओवर लेपिंग करने पर मौजुदा स्थिति मे 3 के द्वारा अतिक्रमण कर खसरा नम्बंर 650 पूर्वी भुजा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई तक लगभग 16 मीटर गुणा 60 मीटर में अतिक्रमण कर देवनारायण आवासीय विद्यालय की पक्की दिवार जोर जबरदस्ती से लाठी के बल पर गुर्जर समाज द्वारा हजारो व्यक्तियो की भीड़ इक्ट्ठी कर निर्माण कार्य करवाया गया। उक्त अवैध निर्माण बाबत प्रार्थीगण द्वारा तत्कालिन तहसीलदार से निवेदन कर नाप चौक कर उक्त अतिक्रमण रोकने हेतु बार—बार निवेदन करने पर हल्का पटवारी को मौके पर भेजा तो उसने प्रार्थीगण की भुमि उक्त तथाकथित देवनारायण आवासीय विद्यालय की दिवार प्रार्थीगण की भुमि मे होना बताया परन्तु गुर्जर समाज के व्यक्तियो द्वारा हजारो की तादाद में इक्ट्ठे होकर लाठी के बल पर रातो रात निर्माण करवा दिया एवं राजस्व अधिकारीयो की बात नहीं मानी। इसके पश्चात भी प्रार्थीगण द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से अप्रार्थीगण से बार बार निवेदन किया कि हमारी खातेदारी भुमि में लगभग 24 ऐयर कृषि भुमि में अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा लाठी के बल पर कानून हाथ में लेकर पूरजोर विरोध के बावजुद निर्माण कार्य किया है। इन परिस्थितियो में उक्त तथाकथित अतिक्रमण विधि अनुसार हटवाया जाकर प्रार्थीगण को पुनः कब्जा दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 651/2795 के दक्षिणी हिस्से में पश्चिमी माठ पर अवैध रूप से गुर्जर समाज द्वारा खाई खोदकर अवैध रूप से

उप खण्ड अधिकारी

अतिक्रमण किया है। उक्त अतिक्रमण लाठी के बल पर कर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आवंटित भुमि के तरमीम व नक्शे के अनुरूप कब्जा नहीं कर अवैध रूप से प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि भुमि मे जोर जबरदस्ती से कब्जा कर रहे है। खसरा नम्बर 651/2795 के पश्चिमी माठ की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में कोई आवंटन नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में खसरा नम्बर 651/1 रकबा 25 बीघा किस्म बंजड़ भुमि का ही आवंटन है इसके विपरित देवनारायण आवासीय विद्यालय देव डूंगरी में गुर्जर समाज द्वारा बिना विधिक अधिकारिता के अपना अधिकार मानते हुये प्रार्थीगण की कृषि भुमि में अवैध रूप से घुसकर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की कृषि भुमि को खुर्द बुर्द कर उसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन कर कृषि भुमि के स्वरूप को मिटाकर जबरदस्ती दिवार बनाना चाहते है। जबकि प्रार्थीगण की भुमि में अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किसी प्रकार का आवंटन राज्य सरकार के निर्देशानुसार नहीं किया गया है। इन परिस्थितियो मे प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भुमि से अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसके अभाव में प्रार्थीगण को अपने हक हकुक व अधिकारो से मेहरूम रहना पड़ेगा। प्रार्थीगण को अपूरतनीय क्षति होगी जबकि उक्त अवैध अतिक्रमण प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि से हटाने पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला एवं साम्य एवं न्याय का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इन परिस्थितियो में प्रार्थीगण की कृषि भुमि में अप्रार्थीगण के द्वारा किये गये तमाम अतिक्रमण को हटाकर प्रार्थीगण को पुनः कब्जा दिलवाकर वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेद्याज्ञा अप्रार्थीगण को उनके नौकरो, चौकरो व एजेन्टो को रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के अंतिम निर्णय तक यह अस्थाई निषेद्याज्ञा के रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 02 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर पैरा सं0 01 कानूनी होना, पैरा सं0 02 में वर्णित भूमि सरहद मौजा रायराखुर्द में स्थित होना, पैरा सं0 03, 04 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 5 से 8 कानूनी होना अंकित किया।

प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेंकर्ड की जांच कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट समेवाये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/837 दिनांक 16.06.2025 के जरिये निवेदन किया कि सरहद मौजा रायरा कलां खुर्द के ख0नं0 651/1 रकबा 4.00 है0 भूमि देवनारायण आवासीय विद्यालय के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, ख0नं0 651 रकबा 5.34 है0 भूमि किस्म बंजड़ राजकीय सिवाय चक भूमि हैं। ख0नं0 650 रकबा 1.90 है0 बा0दो0, ख0नं0 651/2727 रकबा 0.53 है0 बा0दो0 भूमि जवानसिंह, हरिसिंह पि0 भूरसिंह वगैरा कौम रावत के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा हैं। ख0नं0 651/2795 रकबा 0.45 है0 किस्म बंजड़ राजस्व रेकर्ड में भंवरसिंह, हरिसिंह पि0 भूरसिंह कौम रावत सा0देह देवखेड़ा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा हैं। नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु A से B आवासीय देवनारायण विद्यालय की दीवार बनी हुई है। जिसे नजरी नक्शे में (–··–··–) से चिन्हित किया गया हैं। नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु RST एवं GHB राजस्व नक्शा अनुसार देवनारायण अवासीय विद्यालय के ख0नं0 651/1 का हिस्सा है, जो वर्तमान में दीवार, बनाये जाने के कारण हरिसिंह वगैरा के कब्जा काश्त में स्थित है। नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु PQR जो हरिसिंह पुत्र भुरसिंह का खातेदारी ख0नं0 651/2795 आवंटन शुदा भूमि का हिस्सा है, जो मौके पर बनी दीवार अनुसार आवासीय विद्यालय के कब्जे में स्थित है। बिन्दु PQR जो आवासीय विद्यालय के कब्जे में स्थित है का रकबा मौके पर कब्जे अनुसार 0.05 है0 बनता है, इसी प्रकार बिंदु RST एवं GHB जो हरिसिंह के कब्जे में स्थित है का रकबा क्रमशः 0.04 है0 एवं 0.0200 है0 मौका अनुसार बनता हैं, की रिपोर्ट पेश की जो सा0मि0 हैं।

बहस उभय पक्षकारान सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 651/1 रकबा 4.000 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भुमि का आवंटन देवनारायण आवासीय विद्यालय, देवडूंगरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पाली के नाम

उप खण्ड अधिकारी

एलोट की थी। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भुमि खसरा नम्बर 650, 651/2795, 651/2727 की वर्तमान स्थिति एवं उक्त कृषि भुमि को पुराने खसरे के हिसाब से पुराने नक्शे व नये नक्शे की ओवर लेपिंग करने पर मौजुदा स्थिति मे अप्रार्थी सं0 3 के द्वारा अतिक्रमण कर खसरा नम्बर 650 पूर्वी भुजा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई तक लगभग 16 मीटर गुणा 60 मीटर में अतिक्रमण कर देवनारायण आवासीय विद्यालय की पक्की दिवार जोर जबरदस्ती से लाठी के बल पर गुर्जर समाज द्वारा हजारो व्यक्तियो की भीड़ इक्ट्ठी कर निर्माण कार्य करवाया गया। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला एवं साम्य एवं न्याय का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इन परिस्थितियो में प्रार्थीगण की कृषि भुमि में अप्रार्थीगण के द्वारा किये गये तमाम अतिक्रमण को हटाकर प्रार्थीगण को पुनः कब्जा दिलवाकर वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को उनके नौकरो, चौकरो व एजेन्टो को रोका जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ हैं। मौके पर देवनारायण आवासीय विद्यालय का भवन बना हुआ हैं। प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रा0पत्र पेश किया है, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रकरण में पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर तय किये जाने योग्य हैं। लिहाजा वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली अख्तिल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज